

**न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर**  
**(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)**

**फाइलिंग नंबर 235103003182014**

**दांडिक प्रकरण क.-247/14**

**संस्थापित दिनांक-30.04.14**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <span style="float: right;">.....अभियोजन</span>	
<b>विरुद्ध</b>	
01-सगीरउद्दीन पुत्र कमरुद्दीन अंसारी उम्र 45 साल निवासी पट्टी बाहर शहर चंदेरी, 02-अमीनउद्दीन पुत्र कमरुद्दीन अंसारी उम्र 43 साल निवासी पट्टी बाहर शहर चंदेरी। <span style="float: right;">.....आरोपीगण</span>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री जाफरी अधिवक्ता।

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 17.01.2017 को घोषित)**

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए, 323, 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 एवं 498 ए के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी सूफिया खान ने दिनांक 19.01.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह करीब 17 वर्ष पहले मुस्लिम रीति-रिवाज से सगीरउद्दीन के साथ हुआ था। उसके बाद से उसके पति उसे दहेज में मोटरसाईकिल, फ्रिज दहेज आदि न लाने पर से उसके साथ बदसलूकी करने लगे एवं अमीनउद्दीन ने भी भाई का पक्ष लेते हुए कम दहेज देने पर से उसे धक्का मार दिया एवं उसे आरोपीगण शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस बारे में उसने अपने मायके में भी बताया था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 30/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05- प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324/34, 323/34 एवं 498 ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की

प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.01.14 को समय 07:00 बजे या उसक 'लगभग थाना चंदेरी बाहर शहर चंदेरी स्थित फरियादी का घर पट्टी रोड परिवादी/आहत सुफिया खान को स्वेच्छया उपहति कारित की, जो कि धारा 324 भादवि की अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?

विकल्प

क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्त के साथ परिवादी/आहत सुफिया खान को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत सुफिया खान को स्वेच्छया उपहति कारित की जो कि धारा 324/34 भादवि के अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी/आहत सुफिया खान को जो कि अभियुक्त सगीर की पत्नी व अभियुक्त अमीन की भाभी है उसके साथ कूरता की, जो कि धारा 498 ए भादवि के अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 शाहजहां, अ.सा. 02 सूफिया बानो की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 02 सूफिया बानो जो कि मामले की फरियादी है, ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी सगीरउददीन उसका पति है एवं अमीरउददीन उसका देवर है। उक्त साक्षी के अनुसार उसका आरोपी सगीरउददीन से वर्ष 1996 में विवाह हुआ था तथा ६ रेलू बातों को लेकर विवाद होता था तथा आपस में कहासुनी होती थी जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 02 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे ६ र में बनाते समय जल जाने से चोट आई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे एवं मारपीट करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने प्रपी 02 की बी से बी भाग की रिपोर्ट लिखाने से इंकार किया है और इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन दिया था। इसी प्रकार अ.सा. 01 शाहजहां ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादी से दहेज की मांग की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादिया के साथ मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया को उपहति कारित की गई तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादिया के नातेदार होते हुए उसके साथ कूरता कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 498 ए एवं 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)